कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718034 दिनांक 05-09-2017

पत्र संख्या–आई0टी0–नोटिस एवं कर निर्धारण माड्यूल/डीलर्स मार्किंग/2017–18/ 915 वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(आई0टी0–अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक 5 सितम्बर, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कारपोरेट)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 28 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम टर्नओवर के व्यापारियों का कर निर्धारण हेतु चयन किये जाने के सम्बंध में पत्र संख्या–837 दिनांक 25.08.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिपत्र में वर्ष 2015–16 हेतु वार्षिक विवरणी फार्म–52, 52ए, 52बी दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथि 30.12.2016 त्रुटिवश अंकित कर दी गयी थी । उक्त तिथि को 30.12.2016 के स्थान पर 31.01.2017 पढ़ा जाये ।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि कर निर्धारण कार्यालय में तैनात डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रतिदिन एक रिटर्न, असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा प्रतिदिन 3 रिटर्न तथा वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा प्रतिदिन 6 रिटर्न की विस्तृत स्कूटनी कर यथा आवश्यकता सुस्पष्ट आधारों पर नियम 45(13) की नोटिस जारी करेंगें । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी मामलें में अनावश्यक नोटिस जोरी न की जाये तथा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा बिना पर्याप्त व उचित आधार के कोई नोटिस जारी की गयी है तो यह मानते हुये कि उसके द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न किया गया है तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी । नोटिस जारी किये जाने वाले मामलों में प्रत्येक दशा में नोटिस तामीली की तिथि से 15 दिन के भीतर डीम्ड की कैटेगरी में रखने अथवा उससे बाहर करने का निर्णय लिया जायेगा । अतः ऐसे समस्त व्यापारी जिनके द्वारा वार्षिक विवरणी दिनांक 31.01.2017 या उसके पूर्व दाखिल की गयी है उनका परीक्षण करते हुए वर्ष 2015–16 हेतु वादों को डीम्ड की कैटेगरी में रखने अथवा उससे बाहर रखने का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 30.11.2017 तक पूर्ण करें । जिन अधिकारियों द्वारा उक्त मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जाता है उनके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त के कम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि अधिकारियों के प्रत्येक सप्ताह के कार्य का विवरण अनुवर्ती सप्ताह में निम्न प्रारूप में मुख्यालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें ।

प्रारूप

कम संख्या	अधिकारी का नाम/पदानाम	कुल दाखिल वार्षिक विवरणी	सप्ताह में चेक किये गये रिटर्न की संख्या	सप्ताह तक चेक किये गये रिटर्न की संख्या	अवशेष रिटर्न की संख्या

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें ।

5/09/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश ।